एसपी ने जरूरतमंद 30 छात्रों को स्कूल बैग दिए

धौलपुर । राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में स्कूल बैग वितरण समारोह का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य व संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। शुरुआत में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, समाजसेवी डॉक्टर सिंह बघेल ,अध्यापिका तराना देवी,सौरभ राजपूत, स्कूल की बाल संसद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही छात्रा प्रज्ञा बघेल, शिक्षा मंत्री संगीता कुमारी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री पीयूष बघेल, खेल मंत्री अभिषेक कुमार ,सांस्कृतिक मंत्री सलमान खान ,बागवानी मंत्री विवेक कुमार ने पुष्प देकर स्वागत किया।इस दौरान उन्होंने संस्था प्रधान राजेश शर्मा की ओर से मुहैया कराये गये जरूरतमंद 30 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग प्रदान किए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने स्कूल के विद्यार्थियों से पूछा कि आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं ।आपकी क्या सोच है ।इसको लेकर छात्र छात्राओं ने कहा कि दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है ।इस पर रोक लगनी चाहिए। जिस पर उन्होंने बच्चों से कहा कि दहेज प्रथा को लेकर कोई पुलिस में शिकायत करता है। तो पुलिस कार्यवाही भी करती है। लेकिन इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव के साथ हर नागरिक परिवार की पहल की बेहद जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सामाजिक बुराइयों की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है । पुलिस का कार्य अपनी जगह है ।लेकिन जब तक समाज आगे आकर अपनी जिम्मेदारी समझ कर सामाजिक बुराईयों की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण के लिए आगे नहीं आएगा तब तक इन पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकती हैं।उन्होंने छात्रों से कहा कि आगे आने वाले समय में बे जिम्मेदार नागरिक बनकर प्रजातांत्रिक सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए समाज जागरूकता की मुहिम को आगे बढ़ाएं तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि समाज व देश में बदलाव लाने के लिए खुद के अंदर की इच्छा शक्ति और खुद की नैतिक जिम्मेदारी बेहद जरूरी है ।उन्होंने कहा कि शेरपुर विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस स्कूल में स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए बाल संसद का गठन कर स्कूल के विकास में छात्रों को जिम्मेदारी सौंप रखी है वह काबिले तारीफ है। इस से पहले पुलिस अधीक्षक ने स्कूल की कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों के शिक्षण के स्तर, विद्यालय के ट्रेन, हेरिटेज व लाइब्रेरी के स्वरूप सहित व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सरकारी स्कूल में इस तरह आकर्षक स्वरूप व्यवस्थित व्यवस्थाओं साफ सफाई की जमकर तारीफ कर एचएम राजेश शर्मा व स्कूल के शिक्षकों की मेहनत की सराहना की।युवा एसपी की सादगी को देखकर स्कूल के छात्र शिक्षक एवं ठामीण उनके मुरीद हो गए।

इस दौरान अध्यापक सौरभ राजपूत, राम शंकर, सत्येंद्र कुमार, बिरखू लाल मौजूद रहे।

अवैध हथियार सहित बदमाश पकड़ा

करौली (नि.स.) । कैलादेवी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर एवं एक जिंदा कारतूस के साथ राज्यस्तरीय बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।

कैलादेवी थाना अधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कैलादेवी पुलिस उपाधीक्षक गिर्राज प्रसाद मीणा के सुपरविजन में एवं स्वयं के नेतृत्व में गठित टीम के सब उपनिरीक्षक प्यारेलाल,कांस्टेबल गुमान सिंह,गोविंद,हेमराज द्वारा अवैध वाहनों की चेकिंग एवं गश्त के दौरान आरोपी शैलेंद्र उर्फ शिवा पुत्र राधेश्याम कहार निवासी चंदेलीपुरा थाना मंडरायल को अवैध देसी कट्टा 12 बोर एवं एक जिंदा कारतूस के साथ मोहनपुर मोड से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी शैलेंद्र उर्फ शिवा करीब 5 जिलों में अलग-अलग वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिसके खिलाफ थाना गंगापुर सिटी, थाना उदेई मोड,कोतवाली करौली, थाना डाबी जिला बूंदी, थाना मंडरायल में आर्म्स एक्ट संबंधी प्रकरण दर्ज हैं।

विधि विधान से पितरों को कराया तर्पण

कुम्हेर (निस)। शनिवार से पितृपक्ष शुरू हो गया है जो कि 25 सितंबर तक रहेगा। कुम्हेर कस्बा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर विधि विधान के साथ पितरों को तर्पण कराया। कुम्हेर गायत्री शक्तिपीठ के पंडित विद्याराम ने बताया की पितृपक्ष पितृपक्ष में तिथियों की घट-बढ के चलते 12 तारीख को दूसरा और तीसरा दोनों श्राद्ध किया जाएगा। इस तरह कुल 16 दिनों का पितृ पक्ष रहेगा। इन दिनों में पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध करना जरूरी होता है। इन दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अपने पितरों को तृप्त करने और देवताओं, ऋषियों या पितरों काले तिल मिला हुआ जल चढाने की प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। वहीं, पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। इन तीनों को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पवित्र नदियों के किनारे या गया तीर्थ में करने का विधान है। न कर पाएं तो घर में एकांत में या किसी गौशालामें जाकर भी किया जा सकता है।

घर पर ही श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं। साफ कपडे पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। श्राद्ध होने तक कुछ न खाएं। दिन के आठवें मुहूर्त यानी कुतुप काल में श्राद्ध करें। जो कि 11.36 से 12.24 तक होता है।. दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोडकर, घुटने को जमीन पर टीका कर बैठ जाएं। तांबे के चौडे बर्तन में जौ, तिल, चावल गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशा घास रखें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितर लोक दक्षिण दिशा होता है। इस वजह से पूरा श्राद्ध कर्म करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। पितृ तिथि के पर सुबह या शाम में श्राद्ध न करें। ग्रंथों में इसकी मनाही है। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर में करना चाहिए। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, फूल और जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। जल के तर्पण से, पितरों की प्यास बुझती है वरना पितृ प्यासे रहते हैं।

सार-समाचार

चोरी के मामले में तीन पकड़े

बयाना । बयाना कोतवाली पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व कोतवाली क्षेत्र के गांव चिम्मन नगला में हुई चोरी के मामले में एक महिला व एक बालअपचारी सहित तीन जनों को गिरफतार कर उनके कब्जे से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है। कोर्ट के आदेष पर महिला को जेल व व बाल अपचारी को बाल संप्रेशण गृह भेजा जा चुका है। जबकि तीसरे आरोपी राजेन्द्र पुत्र कल्लू बिदकिया निवासी षेरगढ नगला से पूछताछ जारी है। जबकि चोरी के इस मामले में मुख्य सरगना तीन अन्य आरोपीयों की तलाष की जा रही है। जो कुख्यात नकबजन बताए। कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा के अनुसार पकडे गए आरोपीयों से पूछताछ की जा रही है और फरार तीन आरोपीयां की तलाष की जा रही है ताकि चोरीयों की अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके।

अवैध हथियार सहित आरोपी पकड़ा

भरतपुर (निस)। मथुरा गेट थाना पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक देशी पौना जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक ष्याम सिंह द्वारा वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों व अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व वृत्ताधिकारी वृत षहर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक दिनेष चंद को मय जाप्ता सूचना मिली कि एक व्यक्ति मदरसा वाली गली मौहल्ला गोपाल गढ में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया।

जाटोली संगठन मंत्री मनोनीत

भरतपुर (निस)। सोनू पंडित जाटोली के समाजसेवा के कार्यों और भावनाओं को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र पाराशर द्वारा सर्व शक्ति मित्र मंडल फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनोनीत किया गया।

बंदी गृह सहित विभिन्न कक्षों का किया भ्रमण

भुसावर । कस्बा भुसावर में संचालित स्पार्कल किड्स एकेडमी के तीन दर्जन से अधिक बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर थाना भुसावर परिसर में पहुँचे। जहां उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई और पुलिस द्वारा किये जाने वाले कार्यो से अवगत करवाया गया। वहीं बच्चों ने थाना परिसर में बने कक्षों में जाकर भी बारिकी से जानकारी लेने के बाद उत्सुकतापूर्वक अपने सवालों के जबाब थानाधिकारी से लिये। जहां थानाधिकारी द्वारा भी सभी बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करते हुए सभी सवालों के जबाब दिये और अन्त में सभी को मिठाई खिलाकर विदा किया। स्पार्कल किड्स एकेडमी के पीआरओ कपिल पण्डित एवं अध्यापक श्याममोहन पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी दिलवाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों से सहमति लेने के बाद थाना भुसावर परिसर का शैक्षणिक भ्रमण संस्थान संचालक संजीत जैमन के नेतृत्व में करवाया गया। जहां सर्वप्रथम बच्चों ने थानाधिकारी मदनलाल मीणा से मुलाकात करते हुए स्वागत कक्ष देखा और उसका महत्व जाना। तत्पश्चात बच्चों को पुरूष एवं महिला बंदी गृह, मालखाना, थानाधिकारी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, एचएम कार्यालय, सीसीटीवी कैमरा कक्ष, मैस के साथ साथ पुलिसकर्मियों के रहने वाले क्वार्टरों का भी निरीक्षण करवाया गया। जहां निरीक्षण के समय प्रत्येक कक्ष के कार्यो की थानाधिकारी मदनलाल मीणा ने विशेष जानकारी प्रदान की। उन्होने बच्चों को बताया कि जब कोई पुरूष या महिला अपराध करते हैं तो उन्हें यहां लाकर बंदी गृह में बन्द किया जाता है और 24 घंटे के अंतराल में संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है। मालखाने में हथियार सहित विभिन्न सामान रखे जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा कक्ष में क्षेत्र में हो रही सभी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है ।

'दिव्यांग सरकारी योजना का लाभ उठायें'

करौली (नि.स.) जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांग छात्र छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ उठाना चाहिए।उन्होने आमजन व परिवारजनों से अपील की दिव्यांग छात्र छात्राओं को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का लाभ दिलायें जिससे कि वें विकास की मुख्यधारा से जुड सकें।

जिला कलेक्टर राउमावि करौली मे दिव्यांग छात्र छात्राओं को अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होने बताया कि दिव्यांग छात्र छात्राऐं स्वयं को कमजोर नही समझे एवं मेहनत करते हुए एवं अच्छी शिक्षा अर्जित कर आप भी जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकते है। कार्यक्रम के दौरान चयनित छात्र छात्राओ को 47 अंग उपकरण बांटे। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार जैन आदि उपस्थित रहे।

'भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था वेंटीलेटर पर'

भरतपुर (निस)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने काँग्रेस की राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भरतपुर जिले में 6 मंत्री व 1 विधायक काँग्रेस के होने के बावजूद भी जिले के साथ विकास कार्यो में सौतेला व्यवहार हो रहा है।

इधर कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। जिले में हर जगह भय व आतंक का माहौल है। पूरा जिला अपराध का गढ व अपराधियों की शरणस्थली बन चुका है। यहाँ आयें दिन गैंगवार व गोली कांड आमबात हो गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोशणाओं में हवाई व झूठी घोशणाऐं आम जनता में प्रसारित कर कोरी वाहवाही लूटी गई है। राज्य सरकार के वित्तीय बजट 2021-22 में नगर निगम क्षेत्र की 30 किलो मीटर सडक तथा वित्तीय बजट 2022-23 में 40 किलो मीटर सड़क निर्माण की घोशणाऐं की गई थी जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। आम

■ भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने राज्य सरकार पर आरोप लगा कर कहा जिले से हो रहा है सौतेला व्यवहार

जनता को टूटी सडको के कारण आये दिन दुर्घटना ग्रस्त व चोटिल होना पड रहा है।

पूर्व जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि भरतपुर षहर की ड्रेनेज व्यवस्था खराब होने के कारण आम जनता को गंदगी एवं प्रदूशित वातावरण में जीने को मजबूर होना पड रहा है। नगर निगम भरतपुर द्वारा हुडको से 150 करोड का ऋण स्वीकृत कराया गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता आगामी विधानसभा चुनावों में इन सबसे अपना हिसाब चुकता करेगी।

शिविर तेरह व 14 को

करौली (नि.स.) । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्यामलाल मीना ने बताया कि एक मुश्त ऋण समाधान योजनान्तर्गत 31 मार्च तक वितरित ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिये पात्र है।

उन्होंने बताया कि प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र ऋणी लाभार्थियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने हेतु कार्यालय द्वारा ब्लॉक व स्थानीय स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा।उन्होने बताया कि लाभार्थी शिविर मे आकर अधिशेष राशि मुलधन व ब्याज एक मुश्त जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते है। शिविर मे व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत ऋण आवेदन, मैरिट कम मीन्स छात्रवृति एवं विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी।उन्होने बताया कि 13 सितम्बर को शिविर मौलाना आजाद स्कूल बागे बरकत करौली मे एवं 14 सितम्बर को अलीजा मॉडर्न पब्लिक स्कूल रज्जाक नगर हिण्डौन सिटी मे आयोजन किया जायेगा।

ऑलेम्पिक खेलों का आयोजन 12 से

■ कबड्डी, हॉकी, आदि के आयोजन होंगे

करौली (नि.स.) जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ऑलेम्पिक खेलों का आयोजन 12 से 15 सितम्बर तक किया जायेगा। उन्होने खेलों से संबंधित समस्त तैयारियां समन्वयता के साथ तय समय सीमा मे पूर्ण करने के लिये संबंधित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये।

जिला कलेक्टर डीओआईटी मे वीसी के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के संबंध मे दिये गये निर्देशों की पालना मे कबड्डी, खो-खों,क्रिकेट,हॉकी,बालीवॉल सहित अन्य खेलों का सफल आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।जिला खेल अधिकारी कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर अब तक कुल 11 हजार 422 खिलाडियों का चयन कर 992 टीमों का गठन हो चुका है एवं अभी भी खिलाडियों का चयन व टीमों का गठन जारी है एवं प्रतियोंगिता हेतु करौली जिले के 8 ब्लॉक हिण्डौन,श्रीमहावीरजी,टोडाभीम,मंडरायल,मासलपुर,सपोटरा,नादौती एवं करौली को शामिल किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ऑलेम्पिक खेलों के लिये कब्बडी के लिये 3984 शूटिंग वॉल हेतु 680,टेनिस बॉल क्रिकेट हेतु 3290,खो खो हेतु 1728,बॉलीवॉल हेतु 1224, हॉकी हेतु 516 सहित कुल 11422 खिलाडियों का चयन हुआ है। उन्होने बताया कि ब्लॉक स्तर पर 332 टीम कबडडी के लिये, 85 टीमे शूटिंग बॉल, 235 टेनिस बॉल क्रिकेट,144 टीम खो खो एवं 153 टीम बॉलीवाल व 43 टीम हॉकी के लिये व कुल 992 टीमें बनाई गई है।

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT ,FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004/A-218& B-216["ARANYA BHAWAN" Jhalana InstitutionalArea, Jaipur-302004 दूरभाष Tel No.: 0141-2713858, 2713786 E mail.: iro.jaipur-mefcc@gov.in

पत्रसंख्या-8बी/राज014/2022-JPR दिनांक:04 April,2022

सेवामें, शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No.: FP/RJ/OFC/44570/2020)

विषय : Diversion of 1.3737 ha forest land for BHARATNET PROJECT of Govt of India to connect Gram Panchayats Maharajpur, Nimbhera. daulatpura and Rahir on highspeed Broadband under digital India Flagship program. There are two routes. ROUTE-1 kms 0to 40.459 KM and ROUTE 2 KMs 0 to 11.340 KMs. Total Forest land 30.527 Kms and Non forest land KMs 21.272.

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(18) वन/2022, जयपुर दिनांक-07.03.2022.

महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रन्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 1.3737 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.3737 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/ 03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.
3. The User Agency shall comply to the conditions stipulated in the minutes of meeting of 10th meeting of Standing Board of Wildlife and CWLW, Govt. of Rajasthan vide letter No. 7305 dated 03.10.2019 under strict supervision of State Forest Department.
4. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
5. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
6. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction ofconcerned Divisional Forest Officer.
7. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
8. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be.handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.92 ha de-graded forest land, Beat No. 37 at PF Block-Veeram ki Guwadi, Tehsil- Sapotra, Range- Karanpur, District- Karauli, Rajashtan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. No tree felling shall be involved in the implementation of this project.
5. The optical fiber cable shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of OFC the ground will be leveled.
6. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.
9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
14. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
15. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the StateGovernment and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
16. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
18. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
19. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is accorded by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

भवदीय - (श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी